प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांकः– 495 /स्थापना अनु0/2023–24 दिनांक 04 जुलाई, 2024

विषयः– मा0 राष्टीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 267/2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्टीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 267/2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 के द्वारा निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैः–

3. In The District Magistrate, Dehradun is directed to file further Action Taken Report after complianc regarding passing of fresh order within four weeks as directed by Hon'ble High Court of Uttarakhand and to appear in person with the relevant record before this Tribunal physically on the date of hearing hereby fixed for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case.

प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश तथा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–891/2024 में पारित आदेश दिनांकित 09.04.2024 के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक–442/प्रशा0अधि0–स्थापना–2023–24 दिनांकित 07 मई, 2024 के द्वारा पुनः आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त आदेश की प्रति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

यह भी सादर अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्रांक–442/प्रशा0अधि0–स्थापना–2023–24 दिनांकित 07 मई, 2024 के विरूद्ध श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या– 1275(एम/एस)/2024 श्रीमति मधु काम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य योजित की गयी है, जो कि मा0 उच्च न्यायालय में गतिमान है।

अतः प्रकरण पर कृत कार्यवाही की आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

(सोनिका)
जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–891/2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.04.2024 की प्रति कार्यालय में दिनांक 10.04.2024 को प्राप्त हुयी है। उक्त आदेश में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेशित किया गया है :–

"Since the impugned cancellation order has been passed in violation of principles of natural justice, which has been engrafted in Rule 150(1) of the aforesaid Rules, therefore, the writ petition is allowed and the impugned cancellation order is set aside. The District Magistrate, Dehradun shall pass fresh order, within four weeks, but only after providing reasonable opportunity of hearing to petitioner."

2. मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.04.2024 के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक–427/स्थापना अनु0/2023–24 दिनांकित 12 अप्रैल, 2024 के द्वारा याचिकाकर्ता श्रीमती मधु काम्बोज को पत्र प्रेषित किया गया कि ग्राम मोथरोंवाला, तहसील–सदर, जनपद–देहरादून के भूमि खाता संख्या 01106, खसरा संख्या–1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0) में संचालित संचालित पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत **"Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps"** के अंतर्गत **"Siting Criteria of Retail Outlet"** के मानकों अनुरूप ना पाये जाने के कारण उक्त पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु निर्गत अनापत्ति संख्या–268/परि0–2020–21 दिनांक 20 मार्च, 2021 को क्यों निरस्त ना किया जाये ? इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता स्वयं अथवा सम्यक रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु समुचित साक्ष्य/अभिलेखों सहित जिलाधिकारी कार्यालय में दिनांक 25 अप्रैल, 2024 को समय 11.00.बजे प्रातः उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. दिनांक 25 अप्रैल, 2024 को कार्यालय में श्रीमती मधु काम्बोज के अधिकृत प्रतिनिधि उनके पुत्र श्री पियूष काम्बोज उपस्थित हुये। उनके द्वारा श्रीमती मधु काम्बोज का पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रत्युत्तर में श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा उक्त पैट्रोल पम्प को स्थापित किये जाने हेतु अभिलेखीय कार्यवाही नवम्बर, 2018 से प्रारम्भ कर दी गयी थी तथा **IOCL** द्वारा उक्त पैट्रोल पम्प दिनांक 7 दिसम्बर, 2019 को चयनित कर लिया गया था, जिसके क्रम में श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 को शुल्क 50,000 रू0 **IOCL** के पक्ष में जमा कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा दिनांक 07.12.2019 को **IOCL** के पक्ष में जमा कराये गये रू0 50,000 शुल्क की प्रति संलग्न की गयी है।

4. श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि पैट्रोल पम्प आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नया पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु **"Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps"** दिनांक 07 जनवरी, 2020 को जारी की गयी है तथा तत्पश्चात दिनांक 02 नवम्बर, 2020 को **LOI (Letter of Intend)** जारी किया गया है।

.....2

5. श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नया पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु **"Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps"** दिनांक 07 जनवरी, 2020 उनके पैट्रोल पम्प पर लागू नहीं होती है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उन्हे **IOCL** से पत्र दिनांक 07.12.2019 को प्राप्त हुआ था जिसमें उक्त पैट्रोल पम्प के चयन के सम्बन्ध में तथा प्रकरण पर स्वीकृति प्राप्त किये जाने किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उनके द्वारा सम्बन्धित शुल्क भी दिनांक 07.12.2019 को जमा करा दिया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस प्रकार उक्त पैट्रोल पम्प के निर्माण की कार्यवाही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नया पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु जारी गाईडलाईन दिनांक 07 जनवरी, 2020 से पूर्व प्रारम्भ हो चुकी थी।

6. आवेदिका द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि पैट्रोल पम्प के निकट स्थित स्कूल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है तथा उक्त स्कूल के सम्बन्ध में राजकीय अभिलेखों में कोई प्रविष्टि/अंकन नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त स्कूल को हटाने/अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त स्कूल की नया निर्माणाधीन भवन पैट्रोल पम्प से 300 मी0 की दूरी पर खसरा संख्या 1190 तथा 1191क पर निर्मित हो रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा खसरा संख्या 1190 तथा 1191क में एम0डी0डी0ए0 से स्वीकृत स्कूल के मानचित्र की प्रति संलग्न की गयी है।

7. आवेदिका द्वारा उक्त स्कूल को एम0डी0डी0ए0 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति संलग्न करते हुये उल्लेख किया गया है कि एम0डी0डी0ए0, देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांकित 20.04.2024 के द्वारा खसरा संख्या–1081 ख में स्थित भवन को उत्तराखण्ड (उ0प्र0 योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम–2009 की धारा–14 में निर्दिष्ठ सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण में धारा–28क के अंतर्गत स्कूल के भवन को सील किये जाने के आदेश किये गये हैं।

8. याचिकाकर्ता श्रीमती मधु काम्बोज का एक पत्र दिनांकित 25.04.2024 कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा प्रकरण पर शिक्षा विभाग तथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया तथा याचिकाकर्ता श्रीमती मधु काम्बोज के प्रत्युत्तर में अंततः कार्यालय के निर्गत आदेश पत्रांक–427/स्थापना अनु0/2023–24 दिनांकित 12 अप्रैल, 2024 पर पुनः विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

9. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में प्रकरण पर इस कार्यालय के पत्र संख्या– 437/स्थापना अनु0/2023–24 दिनांक 01.05.2024 के द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून एवं सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, क्षेत्र मोथरोवाला, देहरादून से निम्नलिखित बिन्दुओ पर आख्या प्राप्त की गयी:–

.....3

10- वर्तमान प्रकरण पर निम्न मुख्य तथ्य विचारणीय हैं :–

1. उक्त स्कूल वर्तमान में श्रीमती मधु काम्बोज के पैट्रोल पम्प से लगता हुआ है अथवा नहीं ?
2. सियेरा इण्टरनैशनल स्कूल में वर्तमान में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं अथवा नहीं ?
3. पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) का मानचित्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति के समय मौके पर सियेरा इण्टरनैशनल स्कूल संचालित था अथवा नहीं ?
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत **"Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps"** के अंतर्गत निर्धारित **"Siting Criteria of Retail Outlet"** जोकि दिनांक 07.01.2020 को जारी हुये थे, उक्त पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) को स्वीकृत अनापत्ति की तिथि पर लागू थे अथवा नहीं ?

उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट है कि पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) को PESO द्वारा पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण की अनुमति दिनांक 30.04.2021 को प्रदान की गई है तथा उक्त पैट्रोल पम्प का मानचित्र दिनांक 20.06.2022 को स्वीकृत किया गया है, जबकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नया पैट्रोल पम्प स्थापित करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश/मानक दिनांक 07.01.2020 को निर्गत किए गये हैं। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित स्वीकृतियां (PESO तथा मानचित्र स्वीकृति) प्रार्थिनी के पक्ष में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश/मानक जारी करने की तिथि 07.01.2020 के पश्चात ही स्वीकृत हुई हैं, जिस कारण प्रार्थिनी का यह तर्क बलहीन है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी मानक दिनांक 07.01.2020 प्रकरण पर लागू नहीं होंगे, चूकि LOI (Letter of Intent) दिनांक 02.11.2020 को जारी हो चुकी थी जिस कारण याचिकाकर्ता श्रीमती मधु काम्बोज का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

11- प्रकरण की जांच हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून तथा अपर जिलाधिकारी (प्र0), देहरादून की सदस्यता में गठित समिति द्वारा दिनांक 11.03.2024 को स्थलीय जाँच/निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त रिटेल आउटलेट एवं **Sierra International School** के मध्य दूरी 0.0 मी0 है अर्थात दोनो के मध्य कोई दूरी नहीं है। रिटेल आउटलेट की डिस्पेंसिंग यूनिट से स्कूल की दिवार की दूरी 10 मी0 से भी कम है। जिस कारण वर्तमान समय में उक्त पेट्रोल पम्प केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाईन के मानकों को पूर्ण नहीं करता है। संयुक्त निरीक्षण आख्या में यह भी उल्लिखित है कि **PESO** द्वारा दिनांक 30.04.2021 को 60 के0एल0 पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी तथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.06.2022 को रिटेल आउटलेट का मानचित्र

.....5

I. क्या सियेरा इण्टरनैशनल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं ?

II. सियेरा इण्टरनैशनल स्कूल, मोथरोवाला जिस स्थान पर संचालित हो रहा है क्या उक्त बिल्डिंग का नक्शा एमडीडीए द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया गया है अथवा नहीं ?

उपरोक्त के कम में सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून का पत्र संख्या–437/म0दे0वि0प्रा0/विविध/2023–24 दिनांक 01.05.2024 कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें अवगत कराया गया है कि सियेरा इण्टरनैशनल स्कूल, मोथरोवाला का वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं है। प्राधिकरण में दिनांक 01.04.2024 को मुख्य मंत्री पोर्टल के माध्यम से कमांक संख्या CMHL-042024-2-535626 के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई जिसके कम में कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.04.2024 के माध्यम से वाद योजित किया गया विपक्षी को सुनवाई के 02 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.04.2024 को चालानशुदा निर्माण को दिनांक 27.04.2024 को सील किया जाना नियत किया गया था। प्रार्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.04.2024 को चालानशुदा निर्माण को शमन कराये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ दिया गया जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है एवं उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में शमन मानचित्र के निस्तारण उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र संख्या–शिविर (मा0)/विज्ञापन/2024–25 (जो कार्यालय में दिनांक 02.05.2024 को प्राप्त हुआ है), में उल्लेख किया गया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के पत्रांक शिविर (बे0)/15–क/28471–26/मान्यता/2016–17 दिनांक 31.03.2017 के द्वारा सियरा इण्टरनेशनल स्कूल, नियर एस0बी0आई0 बैंक, मोथरोवाला, देहरादून को आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्री–प्राईमरी से कक्षा–8 तक मान्यता प्रदान की गई है। विद्यालय द्वारा वर्ष 2016 में मान्यता आवेदन पत्रावली के साथ संलग्न नक्शा एम0डी0डी0ए0 से स्वीकृत नहीं है। विद्यालय द्वारा तत्समय विद्यालय स्थापित करने हेतु पट्टा विलेख प्रस्तुत किया गया है, जो सियरा एजुकेशन सोसाईटी, 6 मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड को 10 वर्ष पर पट्टे पर दिया गया है। **Online Public Data Entry Summary** के अनुसार पट्टा विलेख का विवरण निम्नवत् हैः– खसरा नं0 1081, विक्रेता/प्रथम पक्ष– श्री जयकुमार पुत्र स्व0 दर्शन लाल, क्रेता/द्वितीय पक्ष–श्री अंशुल काम्बोज, सचिव सियरा एजुकेशनल सोसाइटी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सियरा इंटरनैशनल स्कूल को खसरा संख्या–1081 में स्कूल संचालित किये जाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2017 को आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्री–प्राईमरी से कक्षा–8 तक मान्यता प्रदान की गई है तथा सियरा इंटरनैशनल स्कूल के प्रबन्धक के द्वारा स्कूल के चालानशुदा निर्माण को शमन कराये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में किया गया है, जिस पर प्राधिकरण में कार्यवाही विचाराधीन है, इस प्रकार याचिकाकर्ता श्रीमती मधु काम्बोज का यह कथन स्वीकार्य नहीं है कि पैट्रोल पम्प के निकट स्थित स्कूल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है।

.....4

स्वीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त पैट्रोल पम्प के सम्बन्ध में अभिलेखीय कार्यवाही वर्ष 2019 में प्रारम्भ हो गयी थी, किन्तु उक्त पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) का निर्माण कार्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नया पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत गाईडलाईन दिनांकित 07.01.2020 के पश्चात प्रारम्भ किया गया है। तद्नुसार याचिकाकर्ता का यह तर्क बलहीन होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।

12- इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मोथरोंवाला, तहसील–सदर, जनपद–देहरादून के खाता संख्या 01106, खसरा संख्या–1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0) में संचालित पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) वर्तमान में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत **"Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps"** के अंतर्गत निर्धारित **"Siting Criteria of Retail Outlet"** के मानकों के अनुरूप नहीं है।

13- अतः मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–891/2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.04.2024 के क्रम में तथा प्रकरण पर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्र दिनांकित 18.04.2022 तथा 12.07.2022 के कम में एवं प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांकित 30.03.2022 एवं 11.03.2024 के आलोक में एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर मोथरोंवाला, तहसील–सदर, जनपद–देहरादून के खाता संख्या 01106, खसरा संख्या–1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0) में संचालित पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत **"Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps"** के अंतर्गत निर्धारित **"Siting Criteria of Retail Outlet"** के मानकों अनुरूप होना विधिसम्मत नहीं पाया गया है। फलस्वरूप उक्त पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु निर्गत अनापत्ति संख्या–268/परि0–2020–21 दिनांक 20 मार्च, 2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

14- तद्नुसार मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–891/2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.04.2024 के अनुपालन में श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांकित 25.04.2024 को निस्तारित किया जाता है।

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

.....6

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

पत्रांकः–442/प्रशा0अधि0–स्थापना–2023–24 दिनांक 7 मई, 2024

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–891/2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.04.2024 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञानार्थ
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवलोकनार्थ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
4. उपजिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून को प्रकरण पर अग्रेत्तर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, 25–नीम्बूवाला गढ़ी कैन्ट, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त पैट्रोल पम्प पर अवशेष ईंधन (पैट्रोल, डीजल) का नियमानुसार सुरक्षित निस्तारण अपने स्तर से करवाना सुनिश्चित करें।
9. श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज, निवासी–70 मोथरोंवाला, नियर प्राईमरी स्कूल, देहरादून को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
देहरादून।